

प्रारूप-47

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा सेख्या -901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पर्ययापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी0 9.400 से किमी0 16.400 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य में पड़ने वाली 4.335 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 अस्कोट का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भूमिधर एव प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध/करार


प्रमाणित किया जाता है कि आज दि0 05 / 01 / 2020 को ग्राम सभा बलुवाकोट एवं पर्यया पौड़ी के भूमिधरो के साथ एक बैठक की गई जिसमे राजस्व विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। भूमिधरो एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी के मध्य निम्न बिन्दुओं पर करार/ सहमति हुई है।


1. मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात नाप भूमि का भूमिधरो को मुआवजा दिया जायेगा।
2. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान आबादी के मध्य खतरे वाले स्थानों पर सुरक्षा दिवार लगाई जायेगी।
3. गावों की अधिक से अधिक आवादी को मोटर मार्ग से जोडा जाय।

ह0

भूमिधर


18


सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला


अभियन्ता सहायक
लोक निर्माण विभाग
अस्कोट (पिथौरागढ़)

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-धारचूला...
तहसील - धारचूला

ह0 राजस्व विभाग


तहसीलदार
धारचूला